

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(3) राज/वाद/99 पार्ट

जयपुर दिनांक 12/4/19

:: संशोधित आदेश ::

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 07.01.19 के क्रम संख्या 04 में अंकित श्री गणेश मीणा, अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर के नाम के समुख अंकित समाज कल्याण विभाग (Social Welfare Department) वर्तमान में अस्तित्व में नहीं होने से उक्त अंकित विभाग हटाया जाता है।

आज्ञा से,

—४०

(महावीर प्रसाद शर्मा)

प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, मा० मुख्यमंत्री/निजी सचिव, मा० उपमुख्यमंत्री/निजी सचिव, मा० विधि मंत्री/मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, विधि।
2. सम्बन्धित प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/जिलाधीश/विभागाध्यक्ष /सचिवालय के समस्त विभाग।
3. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।
4. समस्त अति. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर ढैंच।
5. राजकीय अधिवक्ता/गवर्नर्मेंट काउन्सिल, जयपुर/जोधपुर।
6. संबंधित अतिरिक्त महाधिवक्ता।
7. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राज० जयपुर को राज पत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
8. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
9. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
10. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
11. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
12. सचिव, राज० लोक सेवा आयोग, अजमेर।
13. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी।
14. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
15. लेखा शाखा, विधि विभाग।
16. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।

12/4/19  
(चंद्रल मिश्रा)

शासन सचिव, विधि